

**सीधापाल—**मात्र भूखूप से बन्जर धारी आरक्षत वन संड की दक्षिण रीमा जो कि बालाधाट जिला के ग्राम धारेश्वर, गोहातव, भंडेश्वरी और थापा रो होकर जाती है और फिर भैरामघट, आरक्षत वन संड तक बन्जर नदी से होकर जाती है और फिर भैरामघट, आरक्षत वन संड तक दक्षिण रीमा जब तक कि वह बालाधाट एवं राजनारायण जिलों के बीच की अंतर्गतिला सीमा रो गिरती है, और फिर बालाधाट जिले रो छतरपुर वन ग्राम क्षेत्र बालाधाट एवं राजनारायण जिलों के बीच की अंतर्गतिला सीमा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. सी. सकरेना, उपराजिव,  
भोपाल, विनांक 3 राजसभार १६७४।

क्र. ४०२४-१६४६-दस-२-७४.—भारत की संविधान की अनुच्छेद ३४८ के संबंध (३) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिकारी क्र. ४०२३-१६४३-दस-२-७४, दिनांक १६७४ का विधिनियम के प्रारंभिकार से एतद्व्याप्त प्रकाशित किया जाता है:

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. सी. सकरेना, उपराजिव,

Bhopal, the 3rd September 1974.

No. 4023-16(3)-X-2-74.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the State Government hereby declares the area, specified in the Schedule below to be a game reserve:

#### SCHEDULE

The area comprised within the boundaries specified below excluding the area of Kanha National Park and Sipkhay sanctuary.

District	Balaghat and Mandla
Name of sanctuary	Malkal Game Reserve
Area	278.74 Sq. Kilo Meter

**East—**Starting near Chitarpur forest village in Balaghat district, the inter-district boundary running northwards between Balaghat and Rajnandgaon districts till it meets Jabalpur-Bilaspur road; thereafter the inter-district boundary between Balaghat and Mandla districts until village Bhimdongri in Balaghat district.

**North—**Starting from village Bhimdongri the western boundary of Rajgarh East Reserved Forest block up to Halon river, thereafter the western boundary of Kollkhapa Reserved Forest block until village Bhalapuri, then the northern and western boundaries of Raigadh West Reserved Forest block till it meets the inter-district boundary between Balaghat and Mandla districts formed by Gondia river, and thereafter the eastern boundary of Banjar Valley Reserved Forest Block up to Bhillwani forest village and thereafter the common boundary between Chourangā and Tendua Reserved Forest Blocks up to village Khatola and then the northern boundary of Tendua Reserved Forest block till it meets Surpan river near village Shahpur, then the northern boundary of Malidadar Reserved Forest block till it meets the boundary of Samaiya Bhagpur forest village, thereafter the fire line running from north-east to south-west meeting the boundary of Malidadar Reserved Forest block, and thereafter again the continuation of the northern boundary of Malidadar Reserved Forest Block, till it meets the boundary of village Aroli, thereafter the western boundary of Malidadar Reserved Forest block running along village Kutwali, Badachhapri, Sotia, Khaitiya Nurangl till it meets Ghantgarh river, thereafter the western boundary of forest village Ludri till Daghman nala and thereafter the western boundary of Banjar Valley Reserved Forest block till village Jhulup.

**South—**Firozi village Jhulup the southern boundary of Banjar Valley Reserved Forest block in Balaghat district running along villages Kalegaon, Mehgaon, Malkhed and Khula and then along Banjar river till forest village Mukki and thereafter the southern boundary of Bhaisainghat Reserved Forest Block till it meets the inter-district boundary between Balaghat and Rajnandgaon districts, and thereafter the inter-district boundary between Balaghat and Rajnandgaon districts, up to forest village Chhatarpur in Balaghat district.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
R. C. SAXENA, Dy. Secy.

मोपाल, दिनांक २६ राजसभार १६७४।

क्र. ४७४५-३४४२-दस-२-७४.—भारतीय वन अधिकारी (क्र. १६२७ (क्र. १६२७, संग. १६२७), वी. धारा ४ की उपधारा (१) के अनुसारी की अधीन जारी यी गई अधिकारी क्र. ७०७१, दिनांक २३ दिनांक १६७१ व्यारा राज्यपाल ने यह घोषणा की थी उक्त अधिकारी क्र. ७०७१ व्यारा राज्यपाल ने यह घोषणा की थी उक्त अधिकारी की आरक्षत वन बनाने का नियमित किया गया था और अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन पदाधिकारी के कार्तव्यों का पालन करने के लिये थी एस. डी. शर्मा को नियुक्त करता है।

२. चूंकि श्री एस. डी. शर्मा, स्थानांतरित हो गये हैं, असंख्य उक्त अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्यपाल ने उक्त अधिकारी क्र. ७०७१ व्यारा राज्यपाल ने यह घोषणा की थी उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन पदाधिकारी के कार्तव्यों का पालन करने के लिये थी एस. डी. शर्मा को नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. सी. सकरेना, उपराजिव,

भोपाल, विनांक ३ अक्टूबर १६७४।

क्र. ४५६६-३४४१-दस-२-७४.—वाल्लश लाला (प्रोटेस्टन) पर्सन, १६७२ (क्र. ४५६६ राज्यपाल १६७२); वी. धारा ४ की उपधारा अधिकारी के अनुसार मध्यप्रदेश धारात नीचे परिविहार के देखाये गये क्षेत्र को वन पक्षी तथा पशु के लिये अन्यायण्य प्रोत्साहित करता हैः—

#### परिविहार

जिला—मंदसीर,

तहसील—मंगाला एवं भानपुरा,

वन संड का नाम—रामपुरा मेन पठार,

अभयारण्य का नाम—गांधी सामर,

क्षेत्रफल (हेक्टर में)—२२, ४६५.००,

वर्ग किलोमीटर—२२४, ६५.

#### सीमा

उत्तर—प्रकोष्ठ क्रमांक ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०५, ५०६, ५०८, ५०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१७, ७१६ य ७१७ वी. वाहरी रीमा और किंवदक मध्यप्रदेश की ऊपरी रीमा है तथा राज्यपाल एवं मध्यप्रदेश राज्यों की मध्य रीमा है।

पूर्व—प्रकोष्ठ क्रमांक ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ८१८ एवं ८१७ की वाहरी रीमा।

दीयग—प्रकाश क्रमांक ८१७, ८१९, ८२१, ८२२, ८२४(ए), ८२२, ८४०, ८४३, ८४४, ८४६, ८४८, ८४९, ८५०, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५, ८५६, ८५७, ८५८(त), ८५९, ८६०(ल), ८६१ की वाहरी सीमा और गांधी-तापर जलायात के किनारे तक है। प्रकाश क्रमांक ८३२; ८३३, ८३४, ८४७, ८६२, ८६७, ८६८, ८६९ व ८७० की वाहरी सीमा।

परिचय—प्रकाश क्रमांक ८६६, ८६७, ८२८, ८३१ व ८३२ की वाहरी सीमा।

मध्यप्रदेश के यज्ञपालालयों नाम रोड तथा आदेशानुसार,  
बार. सी. सक्सेना, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक ३ अक्टूबर १९७४।

क्र. ४९००-३४०५-दा-२-५४.—भारत के राज्यपाल के  
कानूनों ३४५ के अनुंत (३) के अनुसार में, एक विधाया की  
विधिसुचिता द्वा. ४५६६-३४०५-दा-२-५४, दिनांक ३ अक्टूबर  
१९७४ का अंगूजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से  
एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छव्यदेश के राज्यपाल की नाम रोड तथा आदेशानुसार,  
बार. सी. सक्सेना, उपसचिव।

Bhopal, the 3rd September 1974.

क्र. ४९००-३४०५-X(२)-७४.—In exercise of powers conferred by  
Section 18 of the Wild Life (protection) Act, 1972 (No. 53 of  
1972), the Madhya Pradesh State Government hereby declare  
the land specified in Schedule below as "Game Sanctuary" for  
the Birds and animals in the said sanctuary:—

#### SCHEDULE

District—Mandsaur.

Tahsil—Manasa & Bhopalpur.

Name of Forest Block—Rampura Man Pathar.

Name of Game Sanctuary—Gandhisagar.

Area in Hect.—21,165.00.

Area in Sq. K.M.—224.06.

#### Details of Boundaries.

North—External boundaries of Compartments No. ५९३, ५९४,  
५९५, ५९६, ६०१, ६०२, ६०३, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९,  
६१०, ६१२, ६१५, ६१७, ७१९ & ७२० which form the  
boundary of Madhya Pradesh between Rajasthan and  
Madhya Pradesh.

East—External boundaries of compartment No. ७२०, ७२१,  
७२२, ७२३, ७२४ A and ७२५.

South—External boundaries of Compartment No. ८१७, ८१८,  
८१९, ८२१, ८२२, ८२३ A, ८४२, ८५०, ८५१, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५, ८५६, ८५७, ८५८, ८५९,  
८६१, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१ & ८७२ along the bank of  
Gandhisagar lake. External boundaries of compartment  
No. ८३२, ८३३, ८३४, ८४७, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५ and ८६६.

West—External boundaries of Compartment No. ३९६, ३९७,  
३९९, ६३१ and ६३२.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
R. C. SAXENA, Dy. Secy.

मृहि क्रियाया।

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर, 1974.

क्र. एक.-३-७३-७४-२-ए(३).—विधय कर विधायक के पदाधिकारियों के लिये शासन द्वारा मियत विभागीय परिवारों जो हिनांक २४ अंक १९७४ को "विधि तथा प्रविधि" विधय में संपन्न हुई थी उराने विनाशकीय प्राधिकारी उत्तर्पत् हुए हैं:—

उच्च वर्ग

इंदौर संभाग

- वी. शोकला नन्दोपाध्याय, विधय कर विधिकारी
- वी. जगद्धाम प्रताद दामदेव, विधय कर विधिकारी

- वी. के. जी. शाहवें, विधय कर विधिकारी
- वी. जी. गो. धन, विधय कर विधिकारी
- वी. नरेन शाह, इनार्दि, विधय कर विधिकारी

#### भोपाल संभाग

- वी. शाहन भट्ट, धर्मद, विधय कर विधिकारी

#### संभाल संभाग

- वी. रावशंकर गुरुता, विधय कर विधिकारी

- वी. दी. वी. राज, विधय कर विधिकारी

#### विमलगढ़ी गामग

- वी. एम. लल. अधिकारी, विधय कर विधिकारी

- वी. वी. के. रामटेकर, विधय कर विधिकारी

- वी. वी. लल. विधय, विधय कर विधिकारी

#### निम्न वर्ग

#### इंदौर संभाग

- वी. नरेन शुभाराम गिह, विधय कर विधिकारी

- वी. जी. दी. हसन्देह, इनार्दि, विधय कर विधिकारी

- वी. रमनाथ भर्तूल, विधय कर विधिकारी

- वी. के. दी. नानाराम, विधय कर विधिकारी

- वी. दी. चनाथ प्रसाद याचत, विधय कर विधिकारी

- वी. के. एम. जैन, विधय कर विधिकारी

#### जबलपुर संभाग

- वी. पी. के. श्रीबाल्लभ, विधय कर विधिकारी

- वी. जी. पी. श्रीबाल्लभ, विधय कर विधिकारी

#### रायपुर संभाग

- वी. वी. पी. श्रीबाल्लभ, विधय कर विधिकारी

- वी. ए. वी. हिंदौन, विधय कर विधिकारी

क्र. एक-३-८०-७४-२-ए(३).—स्वामीजीगढ़ विधायक के पदाधिकारियों के लिये शासन द्वारा विधय कर विधिकारी २६ जून १९७४ को "तेवा" विधय में संपन्न हुई थी। वी. लग्नमि निर्मलन्द्र विधिकारी उत्तर्पत् हुए हैं:—

#### उच्च वर्ग

- वी. एम. कोली, विधय कर विधिकारी

- वी. दी. शाह, विधय कर विधिकारी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

108

Gandhi Sagar WLS

Bhopal, the 27th January 1983

No. 18-1-83-X-2.—The words 'And Unclassed Forest' appearing in the column (4) against serial number 5 of this department notification No. 18-3-77-X-(2), dated the 22nd May 1982 are hereby deleted.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
J. B. LAL, Dy. Secy,

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 1983]

क्र. 15-2-83-दस-2—मध्यप्रदेश जात्यान की अधिसूचना क्र. 4599-3405-दस-दो-74, दिनांक 3 अक्टूबर 1974 द्वारा "मध्यप्रदेश राजसभा" के दिनांक 1 नवम्बर 1974 में अधिसूचित की गई, गांधी सागर अभयारण्य सीमाओं की संशोधित कर वर्च्च प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 सन् 1972) की धारा 18(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार नीचे परिचित में दर्शाये गये क्षेत्र की मध्यप्रदेश जात्यान गांधी सागर अभयारण्य घोषित करता है :—

परिचित

जिला—मनसार

तहसील—ननांगा एवं भातकुरा

वन-खण्ड का नाम—रामधुरा, मैन पठार

अभयारण्य का नाम—गांधी सागर

क्षेत्रफल—368.62 वर्ग कि. मी.

सीमा

उत्तर—मध्यप्रदेश एवं राजस्थान की अन्तर्राज्य सीमा।

दूर्वा—मध्यप्रदेश एवं राजस्थान की अन्तर्राज्य सीमा।

दक्षिण—दिनांक 1052, 1051 की पूर्वी सीमा, प्रकोष्ठ क्रमांक 1051, 1050, 1058, 1084, 1082 की दक्षिणी सीमा, प्र. क्र. 1082 की पश्चिमी सीमा, प्र. क्र. 1080, 1070 की दक्षिणी सीमा, प्र. क्र. 1068 की पूर्वी सीमा, प्र. क्र. 1066, 1065, 1016, 1011, 1004, 1003, 1002, 988 की दक्षिणी सीमा, प्र. क्र. 987, 986, 985, 943, 942, 941, 935 की पूर्वी सीमा, प्र. क्र. 935, 936 की दक्षिणी सीमा, प्र. क्र. 936 की पश्चिमी सीमा, प्र. क्र. 936 की उत्तरी सीमा, प्र. क्र. 941 की उत्तर पश्चिमी नीक, प्र. क्र. 942, 940, 944 की पश्चिमी सीमा, प्र. क्र. 945 की पूर्वी सीमा एवं दक्षिणी सीमा जो भुज ग्राम की उत्तरी सीमा है, प्र. क्र. 955 की दक्षिणी सीमा, प्र. क्र. 954 की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा, प्र. क्र. 958, 960, 969, 877, 876 की दक्षिणी सीमा।

पश्चिम—एडवा नदी का जो प्रकोष्ठ क्रमांक 874, 875 एवं 876 की पश्चिमी सीमा बनाती है।

मध्यप्रदेश के राजपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. वी. लाल, उपसचिव,

क्र. 15-2-83-हस-2—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना का, 15-2-83-हस-2, दिनांक 28 फरवरी 1983 का अप्रैली अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. वी. लाल, उपसचिव,

Bhopal, the 28th February 1983

No. 15-2-83-X-2.—Gandhi Sagar Sanctuary was notified by Notification No. 4599-3405-X-2, 74, dated the 3rd October 1974 published in "Madhya Pradesh Gazette", dated the 1st November, 1974 and the said boundaries are hereby modified and under the powers vested under section 18(1) of the Indian Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the area shown in the Schedule given below hereby declared as Gandhi Sagar Sanctuary:—

## SCHEDULE

District—Mandsaur

Tehsil—Manasa, Bhanpura

Name of Forest Block—Rampura, Main-pathar

Name of the Sanctuary—Gandhi Sagar.

Area—368.62 Sq. K.M.

## Boundaries

*North*—Inter State boundary of Rajasthan and Madhya Pradesh.

*East*—Inter State boundary of Rajasthan and Madhya Pradesh.

*South*—Eastern boundary of Comptt. No. 1052, 1051 Southern boundary Comptt. No. 1051, 1050, 1058, 1084 1082, Western boundary of Comptt. No. 1082, Southern boundary of Comptt. No. 1080, 1070, Eastern boundary of Comptt. No. 1068, Southern boundary of Comptt. No. 1066; 1065, 1016, 1011, 1004, 1003, 1002, 988, Eastern boundary of Comptt. No. 987, 986, 985, 943, 942, 941, 935, 936, Southern boundary of Comptt. No. 935, 936, Western boundary of Comptt. No. 936, Northern boundary of Comptt.